



-प्रेस नोट-

दिनांक: 09.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वारण्टी/वाछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.09.2024 को वारंटी अभियुक्त **राहुल पुत्र विजयपाल नि0 सुन्हैटी खडखडी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद स0 728/2020 मु0अ0स0 124/2019 धारा 323,324,325 भादवि थाना गागलहेडी सहारनपुर को सुन्हैटी खडखडी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल पुत्र विजयपाल नि0 सुन्हैटी खडखडी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री शाहनवाज अहमद थाना गागलहेडी,सहारनपुर।
2. का0 398 नरदेव थाना गागलहेड,सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 09.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अलग-अलग मुकदमों में वारण्टी 07 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा अलग-अलग प्रकरणों वारण्टी 07 अभियुक्तगण **1. मुरसलीन पुत्र सलीम निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या—10824/23 धारा 3/5/8सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम 273 भादवि0 थाना चिलकाना सहारनपुर में, **2.अशरफ पुत्र युसुफ निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 3729/23 धारा 3/5/8सीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर में, **3. ऋषिपाल पुत्र तेलू निवासी ग्राम चौरीमण्डी थाना चिलकाना सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या—10779/23 धारा 323,392,452,504,506 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर से, **4. नाथीराम पुत्र तेलू निवासी ग्राम चौरीमण्डी थाना चिलकाना सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या—10779/23 धारा 323,392,452,504,506 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर से, **5. राशिद पुत्र अशरफ निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या—635/22 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना चिलकाना सहारनपुर से, **6. सरफरोज पुत्र शकील निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0-2715/23 धारा 3/5/8 सीएसएक्ट चालानी थाना चिलकाना से व **7. शौकीन पुत्र नसीम नि0 दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर** सम्बन्धित एनबीडबल्यू एसटी नम्बर—4363/2023 धारा—392/411 भादवि में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण को विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मुरसलीन पुत्र सलीम निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. अशरफ पुत्र युसुफ निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. ऋषिपाल पुत्र तेलू निवासी ग्राम चौरीमण्डी थाना चिलकाना सहारनपुर।
4. राशिद पुत्र अशरफ निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर।
5. सरफराज पुत्र शकील निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर।
6. शौकीन पुत्र नसीम नि0 दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर।
7. नाथीराम पुत्र तेलू निवासी ग्राम चौरीमण्डी थाना चिलकाना सहारनपुर।

अभियुक्त मुरसलीन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

वाद संख्या—10824/23 धारा 3/5/8सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम 273 भादवि0 थाना चिलकाना मु0अ0सं0—103/15 धारा—307 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर।
मु0अ0सं0—15/16 धारा—10 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर।
मु0अ0सं0—195/20 धारा—323/452/504 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर।

अभियुक्त अशरफ उपरोक्त आपराधिक इतिहास-

वाद संख्या 3729/23 धारा 3/5/8सीएस एक्ट चलानी थाना चिलकाना सहारनपुर ।

अभियुक्त ऋषिपाल उपरोक्त आपराधिक इतिहास-

वाद संख्या—10779/23 धारा 323,392,452,504,506 भादवि चलानी थाना चिलकाना सहारनपुर ।

अभियुक्त नाथीराम उपरोक्त आपराधिक इतिहास-

वाद संख्या—10779/23 धारा 323,392,452,504,506 भादवि चलानी थाना चिलकाना सहारनपुर।

अभियुक्त राशिद उपरोक्त आपराधिक इतिहास-

वाद संख्या—635/22 धारा 8/20 एनडीपीएस चलानी थाना चिलकाना सहारनपुर

अभियुक्त सरफरोज उपरोक्त आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0—75/16 धारा—4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर ।

मु0अ0सं0—278/18 धारा—392 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर ।

मु0अ0सं0—279/18 धारा—4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर ।

मु0अ0सं0—084/22 धारा—8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर ।

अभियुक्त शौकिन उपरोक्त आपराधिक इतिहास-

एनबीडबल्यू एसटी नम्बर—4363/2023 धारा—392/411 भादिव थाना चिलकाना सहारनपुर ।

मु0अ0सं0—382/17 धारा—2/3 गैंगस्ट एक्ट थाना चिलकाना स0पुर ।

मु0अ0सं0—236/22 धारा—8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री करन नागर थाना चिलकाना सहारनपुर ।
3. है0का0 734 कृष्णपाल थाना चिलकाना सहारनपुर ।
4. है0का0 1013 राहुल तोमर थाना चिलकाना सहारनपुर ।
5. है0का0 246 हेमन्त कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
6. है0का0 934 कृष्णपाल सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर
7. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर ।
8. का0 1759 सावन तोमर थाना चिलकाना सहारनपुर



दिनांक: 09.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव साइबर हेल्प डेस्क द्वारा नौकरी के नाम पर साइबर ठगी के माध्यम से फ्राड की गयी
कुल 37,000/- रुपये धनराशि पीडिता के खाते मे करायी गयी वापस

अवगत कराना है कि दिनांक 01.08.2024 को पीडिता सोनिया पुत्री श्री जसबीर निवासी ग्राम दल्हेडी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर द्वारा साइबर हैल्पलाईन नं0 1930 पर शिकायत संख्या दर्ज करायी थी। जिसमें पीडिता को नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी के माध्यम से कुल 37,000/- रुपये की धनराशि फ्राड कर ली गयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर ठगी की घटनाओं की रोकथाम व साइबर ठगी के माध्यम से फ्राड की गयी धनराशि वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में थाना बडगाँव साइबर हैल्प डेस्क टीम द्वारा शिकायत सं0- 23108240085679 उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए नौकरी दिलाने के नाम पर पीडिता से 37,000/- रुपये की फ्राड की गयी शत प्रतिशत धनराशि पीडिता के खाते में करायी गयी वापस। पीडिता द्वारा अपनी शत प्रतिशत धनराशि खाते में वापस पाकर बडगाँव पुलिस का धन्यवाद किया गया।

वापस करायी गयी धनराशि का विवरण :-

37,000/- रुपये

धनराशि वापस कराने वाली साइबर हेल्प डेस्क टीम :-

1. थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
3. कम्प्यूटर ऑपरेटर गौरव मठान थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
4. का0 472 मोहित कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
5. का0 2077 मनोज कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
6. म0का0 813 सुरेखा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर



दिनांक: 09.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के 01 वांछित बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया

अवगत कराना है कि दिनांक 14.08.2024 को वादी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत सिद्धार्थ पुत्र नामालूम निवासी नामालूम द्वारा वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म करना 03 अन्य के द्वारा उक्त घटना की वीडियो बनाने की सूचना के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 440/2024 धारा 70(2) बी0एन0एस0 व 5G/6 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमें में वांछित 01 बाल अपचारी को नूरपुर तिराहे से हिरासत में लिया गया। बाल अपचारी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 शिवम चौधरी मय थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. .का. 1031 श्रीकान्त भाटी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. का0 2016 राहुल कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 09.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एडीजे-09 जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या कर ट्रक लूट के मुकदमें में अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 37 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी **सजा** –

अवगत कराना है, कि दिनांक 01.10.2020 को वादी श्री राशिद पुत्र शमशाद नि0 खालाटीरा थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त 1.जुनैद पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम रतौन थाना झिझाना जनपद शामली द्वारा वादी के बहनोई नुसरत की हत्या कर शव छिपा देने व ट्रक लूट कर ले जाने की सूचना के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0 427/2020 धारा 302,201,411,392 भादवि के पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 1512/2020 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-09 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-09 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 09.09.2024 को अभियुक्त जुनैद पुत्र इस्लाम उपरोक्त को मु0अ0सं0 427/2020 धारा 302,201,411,392 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 37 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री नीरज चैहान मो0 नं0-8449311000

विवेचक निरीक्षक श्री आनन्द देव मिश्र

पैरोकार का0 1752 रवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर